न्याया. अध्यक्ष महोदयजी राजस्व मंडल ग्वालियर(म.प्र.) केम्प जबलपुर
संभाग जबलपुर)

रा.प्र.क्र. /2013

केदार प्रसाद दुबे आ. स्व. श्री गौरीशंकर दुबे
निवासी कमोदी(गोटेगांव) तह. थाना
गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1 सुदामा प्रसाद आत्मज स्व. मनसुख लाल दुबे
निवासी कामथ वार्ड गोटेगांव तह. थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

2 महेश कुमार आ. स्व. मनसुख लाल दुबे
निवासी पोस्ट ऑफिस के पास गोटेगांव तह. थाना गोटेगांव जिला नरसिंपुर

3 श्रीमति हल्की बाई जोजे भगवत प्रसाद गुरू निवासी मुकाम पोस्ट तह. पाटन जिला जबलपुर

4 प्रतॉप दुबे आ. श्री गौरीशंकर दुबे निवासी बरगी कालौनी गेट नं 1 के पास तह. थाना गोटेगांव जिला नरसिंपुर (म.प्र.)

5 ओंकार प्रसाद आ. स्व. गौरीशंकर दुबे निवासी बरगी कालौनी गेट नं 1 के पास तह. थाना गोटेगांव जिला नरसिंपुर (म.प्र)

6 राजकुमार आत्मज गौरीशंकर दुबे निवासी कमोदी पो. कमोद तह. थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

7 माधव पिता प्रेमनारायण मिश्रा निवासी देवरी तहं. थाना देवरी जिला सागर

8 उमेश मिश्रा प्रेमनारायण मिश्रा निवासी देवरी तह. थाना देवरी जिला सागर

9 ममता पिता प्रेमनारायण मिश्रा निवासी (पांजरा) देवरी तह. थाना देवरी जिला सागर

10 उमापति स्व. दिनेश दुबे निवासी कमोदी तह. थाना गोदेगांव जिला नरसिंहपुर

11 विनीत पिता स्व. दिनेश दुबे निवासी कमोदी तह. थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3321–एक/13 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.9.2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 157/अ–6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 14–8–13 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रचलन योग्य न होने के कारण अमान्य किया गया है । 2/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24–8–16 को आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता तथा अनावेदक कं0 1 के अधिवक्ता को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश किए जाने के निर्देश दिए गए थे तथा शेष अनावेदको के विरूद्ध उनके उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । 3/ प्रकरण में केवल आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदक कमांक 12 द्वारा लिखित बहस पेश न करते हुए एक आवेदन एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने हेतु दिया गया है । जिसे विचारोपरांत निरस्त किया जाता है । 4/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में दिनांक 22–1–13 को	

R 3321-अ/13 (17/6/16)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रचलनशीलता के संबंध में आपत्ति की गई कि राजस्व मंडल ग्वालियर के आदेश का परिपालन न करने के कारण विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया गया है । राजस्व मंडल के आदेश परिपालन कर आदेश पारित किया जाये और आपत्ति स्वीकार कर अपील निरस्त की । अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाया कि प्रचलनशीलता के संबंध में आपत्ति किसी भी स्तर पर की जा सकती है तथा कोई आपत्ति अमान्य की जाती है तो अपील सुनवाई के लिए ग्राहय करने के पूर्व न्यायालय के पूर्व आदेश का पुनरावलोकन नहीं होगा । संहिता की धारा 40 (ग) के अंतर्गत अंतरिम आदेश की जो व्याख्या है उसके अनुसार किसी के हक या अधिकार का विनिश्चय किया जाता है तो अंतरिम होकर भी अंतरिम स्वरूप का नहीं होगा । अधीनस्थ न्याालय ने यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हक या अधिकार का विनिश्चय नहीं किया है बल्कि उत्तराधिकारियों को व्यक्तिगत नोटिस आदि का अवसर नहीं दिए जाने से विधिवसम्मत कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रेषित किया है । इस कारण उन्होंने अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील वर्जित होने के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्रचलनशील न होने के आधार पर अमान्य की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि जहां तक अपर आयुक्त का आदेश है वह अभिलेख पर आधारित होने से पुष्टि योग्य है । 5/ चूंकि यह प्रकरण इस न्यायालय में आया है और इस	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 3321–एक/13 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय को प्रकरण में गुणदोष पर पारित करने के अधिकार हैं । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31–8–10 द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है कि भूमिस्वामी स्वर्गीय मनसुख लाल दुबे वारिसों को व्यक्तिशः नोटिस तामीली व सुनवाई, साक्ष्य लेने के उपरांत विधिसंगत आदेश पारित पारित किया गया जाये । उनका यह आदेश न्यायिक दृष्टि से उचित और विधिसम्मत होने से उसे स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	